तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज लईक अहमद बनाम फराद जैदी वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के अभिभाषक ने अपीलान्ट की ओर से पेश की गई अपील के संबंध में दिनांक 19.07.2022 को प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में नगर पालिका सवाई माधोपुर के प्राधिकृत अधिकारी की ओर से जारी आदेश दिनांक 25.02.2008 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई है, जो कि अदालत हाजा में पोषणीय नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2008 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (3) के तहत पारित किया गया है। इस धारा के तहत पारित किए गए आदेश की अपील अदालत हाजा में पोषणीय नहीं है। वरन् प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है। इस तर्क के समर्थन में वकील रैस्पोडेन्ट ने 2009 (1) आर.आर.टी पेज 330 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि धारा 90 बी (3) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध धारा 90 बी की उपधारा (7) के अन्तर्गत अपील प्रावधित नहीं है। संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को बिना अधिकारिता के मानते हुए रद्द व अपास्त किया गया है। अतः उपरोक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय की अपील अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं होने के कारण उक्त अपील प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश किए जाने की अनुमति हेतु सी.पी.सी की धारा 96 के तहत मीमो आफ अपील के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक था जो कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस आधार पर भी अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं है। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट ने आर.बी.जे. (18)2011 पेज 643–644 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि व्यथित पक्षकार के अलावा तृतीय पक्षकार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार किये जाने को न्यायोचित नहीं माना गया हैं। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में अपीलाधीन आदेश न तो अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किया गया और न ही उक्त आदेश अपीलान्ट के विरूद्ध रेसज्यूडिकेटा है तथा अपीलान्ट अन्य प्रकार से भी उक्त आदेश से पीडित पक्षकार की तारीफ में नहीं आता है। अतः अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार अपीलान्ट को नहीं है। तथा अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश किये जाने हेतु सी.पी.सी. की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपीलाधीन आदेश खातेदार की ओर से प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी की ओर से जारी किया गया है। जिससे अपीलान्ट किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है। इसलिए अपीलान्ट को अपील करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट के अनुसार अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को माह जनवरी 2017 में हो गई थी, परन्तु अपीलान्ट की ओर से 7 माह के बाद दिनांक 24.07.2017 को अपील पेश की गई है जो कि मियाद बाहर है। अपीलान्ट न ने न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र यह स्पष्ट किया कि जनवरी 2017 से 24.07.2017 तक अपील पेश नहीं करने का क्या	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **लईक अहमद बनाम फराद जैदी वगैराह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2023	कारण है और न ही यह स्पष्ट किया कि किस अभिभाषक द्वारा उन्हें कौनसी दिनांक को अपीलाधीन निर्णय की अपील पेश किये जाने की राय दी गई थी। अपीलान्ट की ओर से आधारहीन प्रार्थना पत्र मियाद को कंडोन किये जाने हेतु पेश किया है। अर्थात् ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में स्पष्ट नहीं किया जिससे उक्त देरी को माफ किया जा सके। इसलिए अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने के कारण प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट ने आर. बी.जे.(19)2012पेज 284–285 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए यह भी तर्क दिया कि प्राधिकृत अधिकारी की ओर से राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी(3) के तहत पारित किये गये आदेश के विरूद्ध न तो संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील पोषणीय है और न ही इसे तृतीय पक्षकार द्वारा इस तरह की कोई अपील पेश की जा सकती है। इसके अलावा प्राधिकृत अधिकारी की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी(3)के तहत पारित किये गये आदेश की अपील संभागीय आयुक्त की ओर से सुने जाने व अपील स्वीकार किये जाने को क्षेत्राधिकार के बाहर मानते हुए उक्त नजीर में निगरानी स्वीकार की गयी है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त व रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति के आधार पर अदालत हाजा में पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र के संबंध में की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका सवाई माधोपुर की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2008 उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित किया गया है, जिसके द्वारा खसरा नंबर 586 रकबा 0.60 हैक्टेयर व 588 रकबा 1.65 हैक्टेयर कुल 2.25 हैक्टेयर भूमि को पर्यावसन की जाकर पुर्नग्रहण करते हुए सिवायचक कर नगर पालिका सवाई माधोपुर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। उपखण्ड अधिकारी की ओर से पारित उपरोक्त आदेश भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया गया है। जिसकी अपील की सुनवाई का अधिकार अदालत हाजा को ही प्राप्त है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट ने आर.आर. डी 2005 पेज 147 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीर में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह माना है कि जब धारा 90 बी (3) के अन्तर्गत पारित कोई आदेश विवादित हो जाता है तो उसकी अपील धारा 90 (बी)7के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत की जावेगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 90 बी की उपधारा 3 व उपधारा 5 के अन्तर्गत पारित आदेशों की अपील सुनने का अधिकार संभागीय आयुक्त को है। इसी प्रकार आर.आर.डी 2004 पेज 13 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 90 बी (3) के अन्तर्गत स्वैच्छिक समर्पण का कोई आदेश यदि विवादित हो जाता है तो उसकी अपील का क्षेत्राधिकार धारा 90 बी(7) में संभागीय आयुक्त को है। उक्त प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश गैर मुमकिन कबरिस्तान की भूमि के संबंध में पारित किया गया है। इसलिए उक्त आदेश विवादित आदेश की श्रेणी में आने व अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के व्यथित होने के कारण अदालत हाजा में ही अपील मेन्टेनेबल है। जहां तक वकील रैस्पोडेन्ट का	

28.08.2023

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज लईक अहमद बनाम फराद जैदी वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2023	यह तर्क कि अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश किए जाने हेतु सी.पी.सी की धारा 96 के तहत अनुमति लिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अपील मेन्टनेबल नहीं है तो उक्त तर्क इसलिए सारहीन हो जाता है कि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जा चुका है तथा उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी अपील की मैरिट को प्रभावित नहीं करता है। अपीलान्ट ने अपने मीमो आफ अपील में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि गैर–मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि है जो कि सार्वजनिक प्रयोजन में काम आने वाली सामाजिक भूमि है। जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित निहित है। ऐसी स्थिति में जहां सामाजिक हित निहित कोई भी व्यक्ति अपील या अन्य कोई कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः वकील रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत नजीर आर.बीजे.(19) 2012 पेज 284–285 व आर.बी.जे.(18) 2011 पेज 643–644 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त अपील पर चस्पा नहीं होते हैं। केवल मात्र तकनीकी आधार पर अपील का निस्तारण नहीं हो सकता है। इसके अलावा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से जानबूझकर अपील के मूल बिन्दु से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से अपील पेश किए जाने के लगभग 6 वर्ष बाद उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे कि प्रकरण के मैरिट के तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जा सके। अतः इस आधार पर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से की गई यह आपत्ति की अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय से व्यथित पक्षकार नहीं है और न ही इस आदेश से उसका कोई हित प्रभावित हो रहे हैं, गलत है, क्योंकि अपीलान्ट ने अपील के मद संख्या 3 में यह उल्लेख किया है कि विवादित आराजी गैर–मुमकिन कब्रिस्तान है जो कि समाज की है और समाज का कोई भी पीडित व्यक्ति इस संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। जहां तक अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर अपील पेश किए जाने का प्रश्न है तो यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र में अपीलान्ट की ओर से यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दिनांक 20.07.2017 को विधिक सलाहकार द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु कहा गया था। इसके अलावा गैर मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि के संबंध में धारा 90 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर किस्म को परिर्वतन नहीं किया जा सकता है। इस तरह के आदेश प्रारम्भ से ही शून्य व अवैद्य प्रभाव लिए हुए है। अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए आदेश की अपील पेश किए जाने हेतु कोई मियाद नहीं है। इस तर्क के समर्थन में आर.आर.डी 1993 पेज 1 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसी संदर्भ में वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि जब अपीलान्ट विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं हो तथा अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर अपील पेश की हो तो अपील पेश करने में हुई देरी को शमित किया जाना उचित माना गया है। इस तर्क के समर्थन में आर.बी.जे (27) 2020 पेज 162–163 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसी तरह राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत पारित किए गए ऐसे आदेश जो कि किसी प्रावधान के विरूद्ध है कि अपील संभागीय	

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज लईक अहमद बनाम फराद जैदी वगैराह	
28.08.2023	आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय में पोषणीय है। इस तर्क के समर्थन में आर.आर.टी 2021 (1) पेज 666 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया व तर्क दिया कि उपरोक्त प्रकरण में भी प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा गैर–मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि की किस्म परिवर्तन आवासीय प्रयोजनार्थ की गई है जो कि नियम विरूद्ध व क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में विवादित खसरा नंबर 586 व 588 जिसकी भूमि रूपान्तरित प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2008 के द्वारा की गई है। खसरा नंबर 586 व 588 के भू प्रबन्ध संबंधी कार्यवाही से पूर्व साविक खसरा नंबर 433 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा था जो कि गैर–मुमकिन कब्रिस्तान के नाम दर्ज था। जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2046 से 2049 की प्रमाणित प्रतियों से हो रही है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन रजिस्टर राज0 बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस जयपुर की ओर से जैर ए दफा 26 वक्फ 1954 व रूल 62 रेग्यूलेशन 1964 के तहत जारी किये गये दस्तावेज के अनुसार साविक खसरा नंबर 433 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा में से 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि कब्रिस्तान, मस्जिद आदि के नाम से दर्ज होने की पुष्टि हो रही है। प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किए पारित किया गया है। यदि किस्म परिवर्तन के कार्यवाही से पूर्व मौका रिपोर्ट ली जाती तो विवादित खसरा नंबर 586 व 588 जिसका कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमि रूपान्तरण किया गया है, जो कि साविक खसरा नंबर 433 से बना है, के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त हो जाती। अतः वकील रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति खारिज की जाने योग्य है। वकील अपीलान्ट ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 में वर्णित प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए तर्क दिया कि धारा 90 बी (3) का प्रावधान स्वैच्छिक समर्पण से संबंधित है जिसमें टीनेंट या भूमिधारी या उसके अधिकृत व्यक्ति के आवेदन पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमिधारी के अधिकारों को समाप्त करके भूमि के अधिग्रहण आदेश दिए जाते हैं। धारा 90 बी (5) के अर्न्तगत विवादित मामलों में पक्षकारों को सुनकर प्राधिकृत अधिकारी विवादित भूमि के समर्पण व अधिग्रहण के आदेश पारित करते हैं। यद्यपि धारा 90 बी (7) के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त के समक्ष धारा 90 बी (5) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील पेश किए जाने का प्रावधान किया गया है, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि धारा 90 बी (3) के अर्न्तगत पारित आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त अपील नहीं सुन सकेंगें परन्तु जब धारा 90 बी (3) के अन्तर्गत पारित कोई आदेश विवादित हो जाता है तो उसकी अपील धारा 90 बी (7) के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त को ही प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण में भी प्राधिकृत अधिकारी की ओर से जारी आदेश विवादित होने के कारण अपील अदालत हाजा में ही पोषणीय है क्योंकि धारा 90 बी की उपधारा 3 व उपधारा 5 के अन्तर्गत पारित आदेशों की अपील सुनने का अधिकार संभागीय आयुक्त को है। इस तरह का सिद्धान्त आर.आर.डी 2005 पेज 147 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की	

संभागीय आयुक्त
सवाईमाधोपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज लईक अहमद बनाम फराद जैदी वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2023	धारा 90 ख के तहत पारित आदेश से व्यथित हुआ व्यक्ति संभागीय आयुक्त को इस तरह के आदेश जारी होने के 30 दिन में अपील पेश कर सकता है। इसी प्रकार 90 ख की उपधारा 11 के अन्तर्गत कोई भी बात किसी देवता, देवस्थान विभाग, कोई सार्वजनिक ट्रस्ट या कोई धार्मिक या पुण्यार्थ (चैरिटेबल) संस्था या किसी वक्फ से संबंधित किसी भूमि पर लागू नहीं होती है। उक्त प्रकरण में गैर–मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि को सिवायचक दर्ज कर नगर पालिका के नाम दर्ज किए जाने का आदेश अपीलाधीन निर्णय के द्वारा दिया गया है, जो कि अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए होने के कारण निरस्तनीय है। इसलिए रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे। रिब्यूटल में पुनः वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वकील अपीलान्ट की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र जो बहस की गई है वह रिकार्ड व तथ्यों से परे है, क्योंकि जिस समय प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2008 को पारित किया गया था। उस दिन विवादित भूमि की किस्म न तो गैर–मुमकिन कब्रिस्तान थी और न ही किसी सार्वजनिक संस्था की खातेदारी में ही दर्ज थी। वरन् सिराज रसूल जैदी व अन्य खातेदारों के नाम भूमि दर्ज थी। जिसकी किस्म गैर–मुमकिन बंजड दर्ज थी। खातेदारान की ओर से विधिवत आवेदन किए जाने तथा खातेदारी भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराए जाने हेतु स्वैच्छिक समर्पण किए जाने व आवेदित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2008 को पारित किया गया है। अतः वकील अपीलान्ट का यह कथन कि विवादित भूमि गैर–मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि होने तथा उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने के कारण अपीलान्ट का हित निहित होने के कारण सी.पी.सी की धारा 96 के प्रार्थना पत्र व मियाद संबंधी बिन्दु को नहीं देखा जाएगा, सारहीन है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.डी 2005 पेज 147 व आर. आर.डी 2004 पेज 13 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त नजीरों को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की ओर से आर.बी.जे (19) 2012 पेज 284 से 301 पर उद्धरित निर्णयों में समीक्षा करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी 3 के तहत पारित आदेश की अपील संभागीय आयुक्त के यहां पोषणीय नहीं है। उक्त निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा संभागीय आयुक्त की ओर से पारित आदेश को अधिकार क्षेत्र के बाहर माना है। इस निर्णय में वकील अपीलान्ट की ओर से संदर्भित नजीरों को पैरा संख्या 16 में विवेचित किया है तथा पैरा संख्या 23 में संभागीय आयुक्त की ओर से पारित आदेश को अधिकार क्षेत्र के बाहर माना है। वकील रैस्पोडेन्ट ने कार्यालय राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ हवामहल जयपुर की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 23.09.1995 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि उक्त अधिसूचना में भी विवादित खसरा नंबर 586 व 588 अथवा इसके साविक नंबर 433 का कोई उल्लेख नहीं है तथा न ही साविक खसरा नंबर के गैर–मुमकिन कब्रिस्तान की खातेदारी में ही दर्ज होने का उल्लेख है। केवल मात्र खसरा गिरदावरी में उल्लेख होने के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता है कि विवादित भूमि गैर–मुमकिन	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **लईक अहमद बनाम फराद जैदी वगैराह**
28.08.2023	कब्रिस्तान की भूमि है। चूंकि रैस्पो0 की ओर से प्रस्तुत विभिन्न नजीरों में माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (3) के तहत पारित आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील पोषणीय नहीं है वरन् 90बी(5) के तहत विवादास्पद प्रकरण में जारी किये गये आदेश के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 90बी(7) के तहत संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील पोषणीय है। चूंकि प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2008 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (3) के तहत पारित किया गया है। इसलिए उक्त आदेश की अपील अदालत हाजा में पोषणीय नहीं है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अदालत हाजा में पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज की जावे। रैस्पोडेन्ट व अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषकगण की रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2022 पर बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस में सन्दर्भित नजीरों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में यद्यपि अदालत हाजा में अपील वर्ष 2017 में पेश हुई है तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली प्राप्त होने के बाद प्रकरण बहस हेतु नियत था, परन्तु रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के द्वारा पेश की गई अपील के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र में उक्त अपील के अदालत हाजा में पोषणीय नहीं होने के संबंध में की गई प्रारम्भिक आपत्ति में कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व उक्त बिन्दु पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2008 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नगर पालिका सवाई माधोपुर हेतु नियुक्त किये गए प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के कार्यालय में खसरा नंबर 586 व 588 के खातेदारान द्वारा आवेदन किए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख) सबक्लोज I /II (5) (6) संशोधित दिनांक 08.10.1999 के अनुसरण में व नगरीय विकास तथा स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22.12.1999 के संदर्भ में खसरा नंबर 586 रकबा 0.60 खसरा नंबर 588 रकबा 1.65 कुल किता 2 रकबा 2.25 हैक्टेयर ग्राम सवाई माधोपुर को पर्यावसन की जाकर पुर्नग्रहण करते हुए सिवायचक किया जाकर नगर पालिका सवाई माधोपुर के नाम दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया है। प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित उक्त आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख की उपधारा 3 के तहत पारित किया गया है। क्योंकि प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में खसरा नंबर 586 व 588 के खातेदारान द्वारा आवेदन कियाा गया है। प्राधिकृत अधिकारी की ओर से उपरोक्त भूमि के संबंध में कार्यवाही किये जाने के दौरान किसी भी तरह की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। यदि प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तथा इस प्रकार प्राप्त हुई आपत्ति के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पक्षकारान को सुनकर कोई आदेश पारित

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज लईक अहमद बनाम फराद जैदी वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2023	किया जाता है तो ऐसा आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (5) के तहत पारित किया हुआ माना जाता है व धारा 90 बी (5) के तहत पारित किये गये आदेश की अपील उक्त अधिनियम की धारा 90 बी (7) के तहत अदालत हाजा में पोषणीय है। उपरोक्त प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से विवादित भूमि खसरा नंबर 586 रकबा 0.60 हैक्टेयर व 588 रकबा 1.65 हैक्टेयर कुल 2.25 हैक्टेयर के खातेदारान की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र, समर्पणनामा, शपथ पत्र, जमावन्दी, नक्शा ट्रेस आदि पेश किए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिशापी अधिकारी नगर पालिका सवाई माधोपुर व तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिसके क्रम में अधिशापी अधिकारी नगर पालिका व तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और न ही इस आशय की रिपोर्ट ही प्राप्त हुई कि आवेदित भूमि में कोई कब्रिस्तान आदि बना हुआ है। वरन् पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 4 में आवेदित भूमि के मन्दिर माफी, देवस्थान, सार्वजनिक ट्रस्ट या किसी धार्मिक चैरिटेबल संस्था अथवा वक्फ की भूमि नहीं होने की टिप्पणी की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2008 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (3) के तहत पारित किया गया है एवं धारा 90 बी (3) के तहत पारित किए गए आदेश की अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (7) के तहत अदालत हाजा में पोषणीय नहीं है, वरन् 90 बी (5) के तहत पारित आदेश जो कि पक्षकारान को सुनकर पारित किया गया हो या विवादित हो के विरूद्ध ही अपील अदालत हाजा में पोषणीय है। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2009 (1) आर. आर.टी पेज 330 व आर.बी.जे (19) 2012 पेज 284–285 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है। जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 90 बी (3) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध धारा 90 बी की उपधारा 7 के अन्तर्गत अपील प्रावधित नहीं है। इसी प्रकार वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित अन्य नजीर यथा आर.बी.जे (18) पेज 2011 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (3) के तहत पारित आदेश के विरूद्ध तृतीय पक्षकार की ओर से अपील पेश नहीं की जा सकती, चूंकि उपरोक्त प्रकरण में भी अपीलान्ट न तो प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में पक्षकार थे और न ही अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार ही हैं। अतः इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अदालत हाजा में पोषणीय नहीं है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.डी 2005 पेज 147 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रश्न है तो उक्त नजीर को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर.बी.जे (19) 2012 पेज 284–301 में विवेचित करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (3) के तहत पारित आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील पोषणीय नहीं है। इसी तरह	

सभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **लईक अहमद बनाम फराद जैदी वगैराह**	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2023	के प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (7) में वर्णित है। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अन्य नजीरें यथा 2021 (1) आर.आर.टी पेज 666, आर.आर.डी 1993 पेज 1 व आर.बी.जे (27) 2020 पेज 162–163 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उक्त प्रकरण पर इन नजीरों के सिद्धान्त इसलिए चस्पा नहीं होंगे, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर निस्तारित नहीं की जाकर अदालत हाजा में अपील के पोषणीय होने के बिन्दु पर निस्तारित की जा रही है। इसी प्रकार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2008 किसी अधिनियम के प्रावधान के विरूद्ध पारित नहीं किया जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (3) के तहत पारित किया गया है। इसलिए 2021 (1) आर.आर.टी पेज 666 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2022 में की गई प्रारम्भिक आपत्ति जिसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अदालत हाजा में पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया है, को स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किए बिना अदालत हाजा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी (7) के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/8/2023 (साँवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर	